



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर-452007

दूरभाष : 0731-2432822 फ़ैक्स : 0731-2536600

ई-मेल : commlab@nic.in वेबसाइट : <http://labour.mp.gov.in>


संशोधित-परिपत्र

क्रमांक एफ 3-03/2019/1/4 :: इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 2024 द्वारा निर्वाचन लोकसभा के आम निर्वाचन 2024-मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश के लिए अधिसूचना जारी की गई थी।

2/ बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी की मृत्यु होने के कारण आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के बैतूल संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैतूल संसदीय क्षेत्र में मतदान तृतीय चरण में दिनांक 07.05.2024(मंगलवार) को होगा।

लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के प्रावधानानुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवसों को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश हैं तथा यह उल्लेख है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि (Substantial) स्वेद्ध हो सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन/आकरिमक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध दण्ड के प्रावधान है।

अतएव प्रदेश में लोकसभा के आम निर्वाचन 2024 के बैतूल संसदीय क्षेत्र में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का समुचित परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांक:- 9/27/तीन/2018/13040-50
प्रतिलिपि-

इन्दौर, दिनांक 02/05/2024

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, जनसम्पर्क भवन, भोपाल की ओर अतिरिक्त प्रति सहित। कृपया प्रदेश के सभी स्थानीय तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. संभागीय आयुक्त, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिलाध्यक्ष एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, इन्दौर की ओर समस्त मीडिया में प्रकाशनार्थ।
10. सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. श्रम पदाधिकारी, बैतूल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर